न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 97/2015 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2015/00170

उनवान

रामफूल पुत्र श्री भोरीया उर्फ सुखपाल जाति मीना पेशा काश्तकारी निवासी जयलालपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

........अपीलांट।

बनाम

गन्नू पुत्र भौरया जाति मीना पेशा घरेलु कार्य निवासी जयलालपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर। (मृतक)

1/1. श्रीमति लडडो देवी पत्नि स्वर्गीय गंगू जाति मीना।

1/2. कजोड़ पुत्र गन्नू

1/3. हनुमान पुत्र गन्नू

1/4. रामकेश पुत्र गन्नू

समस्त निवासीयान जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

1/5. धोली पत्नि गंगालाल पुत्री गन्नू

1/6. सांवली पत्नि भरतलाल पुत्री गन्नू

समस्त निवासी बपुई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

1/7. गमती पत्नि लाखन पुत्री गन्नू निवासी कोडयाई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

2. सरकार जरिये तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोंडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री आबिद अली अधिवक्ता अपीलांट/ राजेश कुमार मीना अधि. अपी. 27.7.23
2. श्री रविन्द्र सिंह हाडा अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—28.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौंली जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 2434/1986 बउनवान गंगू बनाम रामफूल आदि में पारित निर्णय दिनांक 01.03.1986 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड़ अधिकारी सवाई माधोपुर मे वादी गंगू द्वारा एक वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज भूमि खसरा नंबर 326 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 326 मिन. रकबा 01 बीघा स्थित ग्राम जयलालपुरा पेश किया गया। अदालत मातहत द्वारा सहमति एवं तहसीलदार भूमिधारी के आधार पर प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 01.03.86 को लोक अदालत मे दोनो पक्षों के सहमति के आधार पर वादी को ग्राम जयलालपुरा तहसील बौंली मे स्थित आराजी खसरा नंबर 326 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 326 मिन. रकबा 01 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर लगभग 29 पश्चात् यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।
3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत द्वारा प्रतिवादी रामफूल की कभी तलब नही किया गया ना ही अपीलांट रामफूल पर मातहत अदालत में तामील हुई है, ना कभी अदालत हाजिर हुआ। रेस्पोडेन्ट द्वारा फर्जी तरीके तामील कराकर मातहत अदालत में पेश किया गया है, जबकि अपीलांट द्वारा कभी भी रेस्पोडेन्ट से राजीनामा नही किया गया है। अपीलांट खसरा नंबर 326 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 326 मिन. रकबा 01 बीघा कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा मे मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिताजी के समान नाम व जाति होने के कारण रेस्पोडेन्ट ने उसी का फायदा उठाकर मातहत अदालत मे दावा पेश किया, जिसमें अपीलांट सुनवाई व अपना पक्ष रखने का और साक्ष्य सबूत पेश करने को मातहत अदालत ने समय नही देकर रेस्पोडेन्ट के नाम इन्द्राज का अमल करने का फैसला देकर अहम भूल की गई है, जिस कारण मातहत अदालत का फैंसला निरस्त किया जाकर पुनः अपीलांट के नाम करने के आदेश जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जावें, अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.1986 को अपास्त किया जावें। अपील के साथ ही धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट रामफूल के गंगू नामक का कोई भाई नही है गंगू अपने आप को रामेंल का भाई बतलाकर घोषणा खातेदारी का दावा उप जिला कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर के समक्ष पेश किया जिसमे अपीलार्थी की तामील करवाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बगैर बिना नोटिस के ही दिनांक 01.03.1986 को लोक अदालत मे राजीनामा करके रामफूल की समस्त विवादित आराजीयात अपने हक मे खातेदारी करने को डिक्री प्राप्त कर ली, इस डिक्री की अपीलांट को कोई जानकारी नही थी, दिनांक 21.06.2015 को अपीलांट को डिक्री की जानकारी होने पर यह अपील मय धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, अतः अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील अदालत मातहत के निर्णय पारित होने के लगभग 29 वर्ष पश्चात् पेश की है, उक्त अवधि मे अपील पेश क्यू नही की गई ? अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।
7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली मे प्रतिवादी रामफूल को जारी समन्न की कोई प्रति संलग्न नही है जो यह साबित करती हो कि प्रतिवादी को इस वाद के संबंध मे जानकारी थी, ना ही पत्रावली मे कही कोई हस्ताक्षर/अगुंठा निशानी प्रतिवादी रामफूल की मौजूद है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट रामफूल को उक्त निर्णय के बारे मे जानकारी नही थी। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
8. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत पेश करते हुए कथन अंकित किए कि कथित राजीनामा दिनांक 01.03.1986 पर अपीलार्थी के कोई हस्ताक्षर नही है, अपीलार्थी की कोई सहमति नही हैं, किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार उसके सहमति के बिना राजीनामे के आधार पर समाप्त नही किये जा सकते, राजीनामा दिनांक 01.03.1986 पर खातेदार अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है, अपीलार्थी की अदम

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मौजुदगी मे हुआ राजीनामा अपीलार्थी के विरूद्व धोखाधड़ी है। यहा पर यह देखने योग्य है कि सहमति भौरया की बतलाई गई है। भौरया की निशानी बतलाई गई, प्रथम तो भौरया की फोटो व पहचान पत्र भी चस्पा नही है, भौरया वाद मे कोई पक्षकार भी नही है। किसी भी भौरया को, चाहे वह खातेदार का पिता ही क्यूं न हो अपीलांट की तरफ से राजीनामा करने का अधिकार नही है। नैच्यूरल जस्टिस के आधार पर एवं विधि के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिये। अपीलार्थी की अदम मौजूदगी मे पारित किया गया निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेखित तथ्यों के समर्थन मे निम्न दृष्टांत पेश किएः– **"2017 डी0एन0जे0 रेवेन्यू पेज 35, ए0आई0आर0 2002 गुजरात पेज 160, ए0आई0आर0 2002, दिल्ली पेज 223, 2018 आर0आर0टी पेज 444"**

9. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री लगभग 29 वर्ष पुराना है, इतनी लंबी समयावधि मे अपीलांट द्वारा अपील पेश न करना ही, अपीलांट के सभी कथनों के असत्य होने की प्रमाणितकता है। रेस्पोडेन्ट उक्त विवादित आराजीयात पर तब से लेकर आज दिनांक तक काबिज काश्त व रिकार्डेड खातेदार है। अपील पेश करने का काई औचित्य नही है। मातहत अदालत का निर्णय सही व विधिक है। अपील अपीलांट खारिज की जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन निम्न दृष्टांत पेश किएः– **"ए0आई0आर0 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 719, राजस्थान रेवेन्यू टाईम्स, 2014 पार्ट 01 पेज 154, राजस्थान रेवेन्यू टाईम्स, 2013 पार्ट 01 पेज 444, राजस्थान रेवेन्यू टाईम्स, 2010 पार्ट 2 पेज 801"**

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2041–2044 वाके ग्राम जयलालपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 326 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 326 मिन. रकबा 01 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा रामफूल पुत्र भौरया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अर्थात् उक्त संपूर्ण आराजीयात अपीलांट के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है।

प्रथम :– मातहत अदालत की पत्रावली मे कोई आदेशिका नही लगी हुई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके की निर्णय से पूर्व (दर्ज होने से लेकर आदेश दिनांक तक) मातहत अदालत मे किस दिनांक पर क्या कार्यवाही की गई।

द्वितीय :–मातहत अदालत की पत्रावली मे उपलब्ध राजीनामा संबंधी सत्यापन दस्तावेज पर भौरया के द्वारा सहमति पत्र पर अंगुठा निशानी/हस्ताक्षर किए गए है, लेकिन भौरया को अपीलांट रामफूल द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया हो इसका कोई साक्ष्य पत्रावली मे मौजूद नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट रामफूल द्वारा सहमति पत्र पर कोई सहमति नही दी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तृतीयः–पत्रावली मे उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 189 वाके ग्राम जयलालपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 326 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा मे से खसरा नंबर 326 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 326 मिन. रकबा 01 बीघा भूमि अलॉटमेंट मिन. नंबर 1038 दिनांक 06.08.69 द्वारा अपीलांट रामफूल पुत्र भौरया को आंवटित हुई, अर्थात् उक्त आराजीयात कभी भी उभयपक्षकारान की पैतृक संपत्ति नही रही बल्कि यह आवंटनशुदा भूमि है जिसे निम्न बिंदुओ के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया जा सकताः–

(1) वसीयतनामा द्वारा।
(2) उत्तराधिकार अधिकारों द्वारा।
(3) दानपत्र द्वारा।
(4) विक्रयपत्र द्वारा।
(5) उपहार/गिफ्ट द्वारा।

अपीलांट द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को उपर्युक्त तरीकों मे से किसी भी तरीके से रेस्पोडेंट या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही किया गया। अतः मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा होते है जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा नही होते है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 2434/1986 बउनवान गंगू बनाम रामफूल आदि में पारित निर्णय दिनांक 01.03.1986 मे पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलांट को उक्त आराजीयात (खसरा नंबर 326 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 326 मिन. रकबा 01 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें। यदि अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 01.03.1986 की पालना मे उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गंगू के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई हो तो उसे कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 28.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

रामफूल पुत्र श्री भोरीया उर्फ सुखपाल जाति मीना पेशा काश्तकारी निवासी जयलाल पुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

गन्नू पुत्र भौरया जाति मीना पेशा घरेलु कार्य निवासी जयलालपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर। (मृतक)

1/1. श्रीमति लडडो देवी पत्नि स्वर्गीय गंगू जाति मीना।

1/2. कजोड़ पुत्र गन्नू

1/3. हनुमान पुत्र गन्नू

1/4. रामकेश पुत्र गन्नू

समस्त निवासीयान जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

1/5. धोली पत्नि गंगालाल पुत्री गन्नू

1/6. सांवली पत्नि भरतलाल पुत्री गन्नू

समस्त निवासी बपुई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।

1/7. गमती पत्नि लाखन पुत्री गन्नू निवासी कोडयाई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

2. सरकार जरिये तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्या :97/2015 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस संख्या :2015/00170 दिनांक 28.07.2023

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी बौंली यह अपील व तारीख 28.07.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री आबिद अली अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री रविन्द्र सिंह हाडा व श्री पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 2434/1986 बउनवान गंगू बनाम रामफूल आदि में पारित निर्णय दिनांक 01.03.1986 मे पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलांट को उक्त आराजीयात (खसरा नंबर 326 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 326 मिन. रकबा 01 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें। यदि अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 01.03.1986 की पालना मे उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गंगू के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई हो तो उसे कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

मुहर

28.7.23

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner